

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-9
संख्या-1088/पांच-9-2026-6(74)/94टी0सी0
लखनऊ: दिनांक-21-07-2026

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897, (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994, (अधिनियम संख्या 57 सन् 1994) की धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-03/2021/1612/पांच-9-2021-6(74)/94टी0सी0, दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल, डा0 कृति यादव, एम0डी0, ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एण्ड चाइल्ड, 11, कृष्णा कालोनी, महानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के स्थान पर डा0 नीरू बंसल, द विजन, आगरा, बी 8 ए, न्यू आगरा, जनपद आगरा को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए समुचित प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करती हैं।

(अमित कुमार घोष)
अपर मुख्य सचिव।